1: संघीय वित्त 2015-16 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	•संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" कहा जाता है।
आकस्मिक निधि	•संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। •इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	•समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। •इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण इसी से किए जाते हैं।

1.1.1 संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार के लेखाओं का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। यह 2011-12 से 2015-16 अवधि के प्रारम्भ से

पाँच वर्षों से प्रचलित प्रवृत्तियों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संचयो में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, जिन्हें संघ सरकार के वित्त लेखाओं से लिया गया है।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों तथा कुल संवितरण के अनुसार संघ सरकार के वित्त की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: प्राप्तियों तथा संवितरण 2015-16 के अनुमान तथा वास्तविक : संघ सरकार

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक	बचतें (-) आधिक्य (+) बीई के सापेक्ष विपथन
1	**कुल प्राप्ति (7+8+9)**	**7016502**	**6540698**	**6953812**	**-62690**
2	राजस्व प्राप्तियाँ	1397620	1451247	1436160	38540
	कर प्राप्तियाँ[1]	925782	953618	949698	23916
	गैर-कर प्राप्तियाँ[2]	471838	497629	486462	14624
3	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	69500	25313	42132	-27368
4	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22714	40916	41878	19164
5	***कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (2+3+4)***	***1489834***	***1517476***	***1520170***	***30336***
6	लोक ऋण की प्राप्ति	4766718	4124288	4316950	-449768
7	सीएफआई में कुल प्राप्तियां(5+6)	6256552	5641764	5837120	-419432
8	आकस्मिक निधि	0	0	0	0
9	लोक लेखा प्राप्ति	759950	898934	1116692	356742
10	**कुल संवितरण (16+17)**	**7008544**	**5733019**	**6966982**	**-41562**
11	राजस्व व्यय	1792562	1793773	1779529	-13033
12	पूंजीगत व्यय	217354	264125	278866	61512

13	ऋण एवं अग्रिम	36073	48374	47272	11199
14	***कुल व्यय (11+12+13)***	***2045989***	***2106272***	***2105667***	***59678***
15	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4233227	3539459	3737657	-495570
16	सीएफआई से कुल संवितरण (14+15)	6279216	5645731	5843324	-435892
17	लोक लेखा संवितरण	729328	87288	1123658	394330
18	राजस्व घाटा(11-2)	394942	342526	343369	-51573
19	राजकोषीय घाटा (14-5)	556155	588796	585497	29342

1 संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों ₹ 5,23,958 करोड़ (बीई) तथा ₹ 5,06,193 करोड़ (वास्तविक) को प्रदान की गई आय पर कर शामिल नहीं है।

2 सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।

यह तालिका विनिवेशों सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹42,132 करोड़) ₹69,500 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम रहा दर्शाती है। व्यय की ओर, पूंजीगत व्यय उससे (₹ 61,512 करोड़) तक बढ़ा जितना बजट में प्रावधान किया गया था।

राजस्व लेखे पर असंतुलन राजस्व घाटा दर्शाता है, जो ₹3,94,942 करोड़ के बजट आंकड़े के प्रति ₹3,43,369 करोड़ था। समग्र असंतुलन का परिणाम राजकोषीय घाटे में होता है जो ₹5,56,155 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹5,85,497 करोड़ था। राजस्व घाटा 13.06 प्रतिशत तक कम था फिर भी राजकोषीय घाटा उससे 5.28 प्रतिशत तक कम था जो सरकार ने अनुमान लगाया था। **पैरा 1.4** में घाटे के संकेतको पर विस्तृत टिप्पणियां शामिल है।

1.1.2 सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, अपने प्रैस नोट दिनांक 31 मई 2016 के माध्यम से, 2015-16 हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी किए है जैसा कि **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद 2015-16

(₹ करोड़ में)

जीडीपी	2011-12 (एनएस का दूसरा आर ई)	2012-13 (एन एस का दूसरा आर ई)	2013-14 (एन एस का दूसरा आर ई)	2014-15 (पहला आरई)	2015-16 (पीई)
स्थिर मूल्यों पर	8736039	9226879	9839434	10552151	11350249
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*उ.न.*	*5.6*	*6.6*	*7.2*	*7.6*
वर्तमान मूल्यो पर	8736039	9951344	11272764	12488205	13576086
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*उ.न.*	*13.9*	*13.3*	*10.8*	*8.7*

आर ई- संशोधित अनुमान: एन एस- नई श्रृंखला; पीई- प्रावधानिक अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी ने ₹1,05,52,151 करोड़ के वर्ष 2014-15 हेतु जीडीपी के प्रथम संशोधित अनुमान के प्रति ₹1,13,50,249 करोड़ का स्तर प्राप्त किया है। 2015-16 में जीडीपी में वृद्धि को 2014-15 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.6 प्रतिशत पर सूचित किया गया था।

वर्ष 2015-16 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी में 2014-15 में ₹1,24,88,205 करोड़ के प्रथम संशोधित अनुमान के प्रति ₹ 1,35,76,086 करोड़ अनुमानित किया है, जो पिछले वर्ष से 8.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

स्थिर दरों पर जी.डी.पी. की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में अधिक थी। वर्तमान दरों पर जी.डी.पी. पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में कम थी। इस प्रतिवेदन में विभिन्न राजस्व संबंधी सूचकों का विश्लेषण करते समय वर्तमान दरों पर जी.डी.पी. को आधार बनाया गया है।

1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण

प्राप्तियां, जिनमें विनिवेश तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

तालिका 1.3 : संसाधन एवं जी.डी.पी.

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी@ (6)	सकल प्राप्तियां/जीडीपी (7)
2011-12	1165691 (20)	54906 (1)	4063177 (69)	620667 (11)	5904441	8736039	67.59
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	9951344	60.58
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	11272764	55.69
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	850506 (12)	6799706	12488205	54.45
2015-16	1942353 (26)	84010 (1)	4316950 (58)	1116692 (15)	7460005	13576086	54.95

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े* (वर्तमान वर्ष हेतु ₹5,06,193 करोड़) *सम्मिलित हैं। वर्तमान वर्ष में ₹14,36,160 करोड़ केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं। जिसे **तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*

नोट: (।) कोष्टक में आंकडे सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जैसा कि **तालिका 1.3** से देखा जा सकता है, जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल प्राप्ति ने 2011-15 के दौरान घटती हुई प्रवृति दर्शाई है तथा 2014-15 में 54.45 प्रतिशत के स्तर पर रही। यह पिछले वर्ष से सीमान्त रूप से सुधरी है तथा 2015-16 में 54.95 प्रतिशत तक पहुंची है। वर्ष 2015-16 का 2014-15 में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सकल राजस्व प्राप्ति में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई। सकल प्राप्तियों की तुलना में सकल ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2014-15 में 62.03 प्रतिशत के प्रति 2015-16 हेतु 57.87 प्रतिशत तक कम हुआ। यद्यपि, ऋण प्राप्तियों से सकल प्राप्तियों का अंश कम हो रहा है, जोकि काफी अधिक है, जोकि बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता दर्शाता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

तालिका 1.4 राजस्व प्राप्तियाँ सकल एवं निबल दोनों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	कर राजस्व (सकल)	राज्यों का अंश*	कर राजस्व (निवल)	गैर-कर राजस्व#	राजस्व प्राप्ति (निवल)	राजस्व प्राप्तियों (सकल)
2011-12	889118	255414	633704	276573	910277	1165691
2012-13	1036461	291547	744914	310977	1055891	1347438
2013-14	1138996	318230	820766	397028	1217794	1536024
2014-15	1245136	337808	907327	421581	1328909	1666717
2015-16	1455891	506193	949698	486462	1436160	1942353
औसतन वार्षिक वृद्धि दर (*प्रतिशत*)						
2011-12	12.08	16.47	10.40	-22.89	-2.40	1.19
2012-13	16.57	14.15	17.55	12.44	16.00	15.59
2013-14	9.89	9.15	10.18	27.67	15.33	14.00
2014-15	9.32	6.15	10.55	6.18	9.12	8.51
2015-16	16.93	49.85	4.67	15.39	8.07	16.54

#बाह्य अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है

** संघ सरकार के वित्त लेखाओं के संबंध में केन्द्रीय राजस्व में अंश के तौर पर राज्यों को किया गया अंतरण धारा 279(1) के तहत प्रमाणीकरण एवं अंतिम जांच के अधीन है।*

वर्ष 2015-16 के दौरान सकल कर राजस्व की वृद्धि पिछले वर्षों से 16.93 प्रतिशत तक बढ़ी तथा वर्तमान मूल्यों पर 8.71 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया (**तालिका 1.5**)।

सरकार के गैर-कर राजस्व ने 2011-16 के दौरान उच्च उतार-चढ़ाव दर्शाया तथा 2015-16 में 15.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2015-16 में सकल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 16.54 प्रतिशत थी, जो 2014-15 में 8.51 प्रतिशत की तुलना में, जीडीपी के वृद्धि से लगभग दुगुनी थी।

1.2.3 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बी.ई. तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित चार्ट वास्तविक राजस्व प्राप्तियों एवं बजट प्रस्ताव के मुख्य संघटकों को दर्शाता है।

चार्ट 1.1 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 2015-16

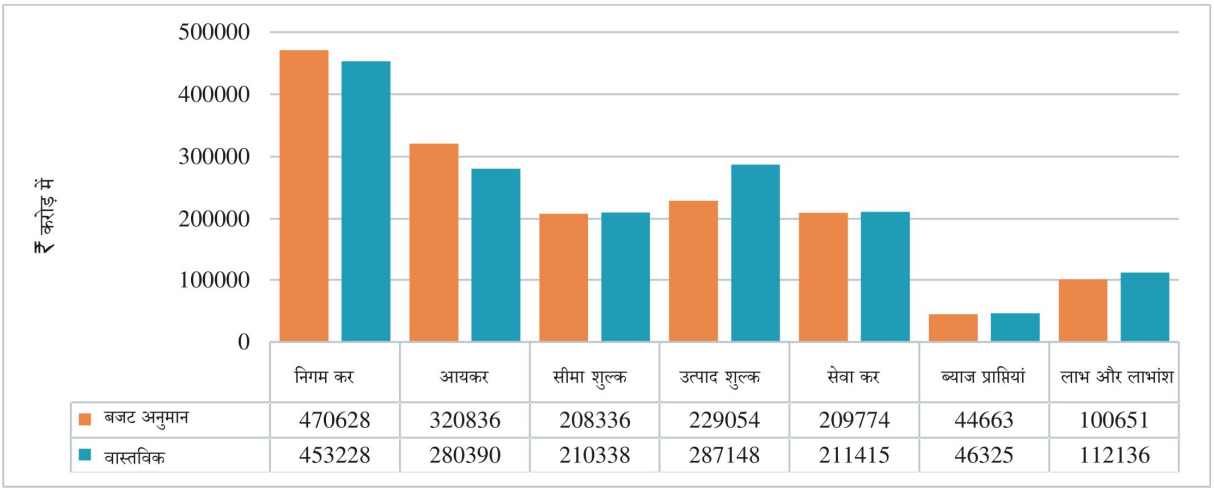

चार्ट 1.1 दर्शाता है कि निगम कर एवं आयकर वसूली के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान (बीई) से कम थी। उत्पाद शुल्क वसूली, बजट अनुमान से 25.36 प्रतिशत अधिक थी।

1.2.4 कर राजस्व

तालिका 1.5 पिछले पांच वर्षों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व की सुनिश्चित शर्तों के साथ-साथ उसकी वृद्धि की वार्षिक दर दर्शाती है।

तालिका 1.5: कर राजस्व (सकल) के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2011-12	889118	322816	164525	6778	494119	149328	144901	97509	3261	394999	8736039
2012-13	1036461	356326	196844	6063	559233	165346	175845	132601	3436	477228	9951344
2013-14	1138996	394678	237870	6211	638759	172085	169455	154780	3916	500400	11272764
2014-15	1245136	428925	258374	8668	695967	188016	189038	167969	4146	549169	12488205
2015-16	1455891	453228	280390	8575	742193	210338	287148	211415	4797	713698	13576086
वृद्धि की वार्षिक दर (*प्रतिशत*)											
2011-12	12.08	8.08	18.28	-17.35	10.79	9.95	5.23	37.31	16.98	13.77	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.56	13.18	10.73	21.36	35.99	5.39	20.84	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	2.45	14.22	4.08	-3.63	16.73	13.99	4.80	12.86
2014-15	9.32	8.68	8.62	39.55	8.96	9.26	11.56	8.52	5.91	9.78	10.78
2015-16	16.93	5.67	8.52	-1.07	6.64	11.87	51.90	25.87	15.20	29.95	8.71

 # राज्यों/सं.शा.क्षे को दिए गए करों/शुल्कों के आकड़े शामिल है।

**प्रत्यक्ष कर में मुख्य शीर्ष 0029-2-राजस्व एवं 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त आयकर, संपदा शुल्क सम्पति कर, उपहार कर, प्रतिभूतियां लेन-देन कर, बैंकिग नगद लेन-देन कर शामिल है।*

@जीडीपी से 2011-12 के आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण आकड़े उपलब्ध नहीं।

सकल कर की 16.93 प्रतिशत वृद्धि पिछले दो वर्षों अर्थात् 2013-15 की प्रवृत्ति के विपरीत 2015-16 में जीडीपी की वृद्धि से अधिक थी।

2015-16 में, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि पिछले पांच वर्षों में अचानक गिरकर 6.64 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रही। प्रत्यक्ष कर के सभी संघटको में वृद्धि वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। हालांकि पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की जिसका परिणाम 2014-15 में 9.78 प्रतिशत की वृद्धि तुलना में 2015-16 के दौरान 29.95 प्रतिशत की अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि में हुआ।

2015-16 तथा 2014-15 के दौरान कर राजस्वों के संघटकों के सापेक्ष अंशो की तुलना **(चार्ट 1.2)** उत्पाद शुल्कों (पांच प्रतिशत) एवं सेवा कर (एक प्रतिशत) के अंशों में वृद्धि तथा निगम कर (3 प्रतिशत) एवं आयकर (2 प्रतिशत) के अंशों में कमी दर्शाती है। दोनों वर्षों में सीमा शुल्क का अंश 15 प्रतिशत है।

चार्ट 1.2 कर राजस्व के संघटक

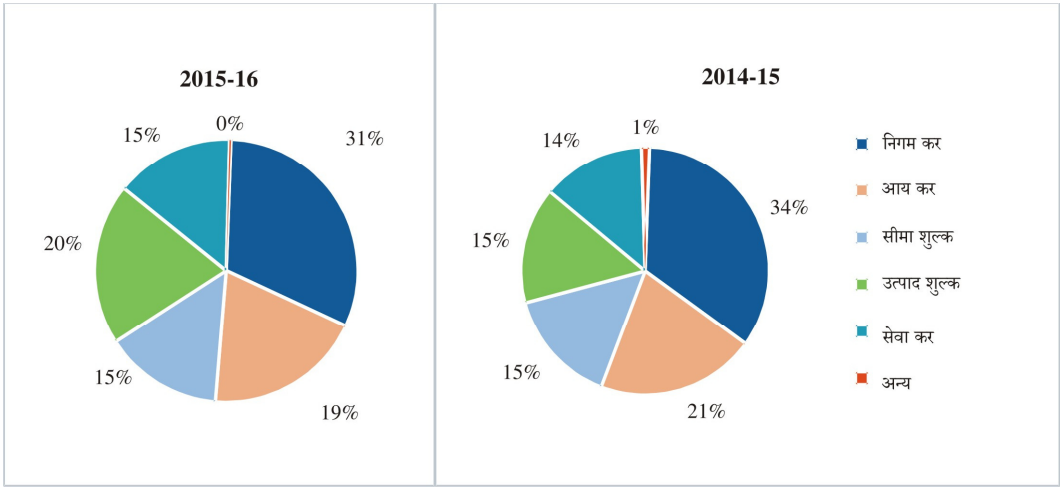

शून्य प्रतिशत वह मूल्य है जो 0.5% से कम है।

1.2.5 कर- जीडीपी अनुपात

कर जीडीपी अनुपात सरकार के संसाधन संघटन प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा कर क्षमता की वसूली की इसकी सीमा का संकेतक है। **तालिका 1.6** 2011-16 की अवधि से इस अनुपात की प्रवृतियों को प्रस्तुत करती है जो कि यह दर्शाती है कि अनुपात 10 प्रतिशत के आस-पास रहा।

तालिका 1.6: मुख्य करों का कर/जीडीपी अनुपात

(प्रतिशत में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
2011-12	10.18	3.70	1.88	1.71	1.66	1.12	0.11
2012-13	10.42	3.58	1.98	1.66	1.77	1.33	0.10
2013-14	10.10	3.50	2.11	1.53	1.50	1.37	0.09
2014-15	9.97	3.43	2.07	1.51	1.51	1.35	0.10
2015-16	10.72	3.34	2.07	1.55	2.12	1.56	0.10

1.2.6 उपकर संग्रहण

उपकर, सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजनार्थ निधियां/धन बटोरने के लिए आरोपित कर है। उपकर संग्रहण को आरंभ में सीएफआई में क्रेडिट किया जाता है। संघीय वित्तीय खातों में गैर विभाजनीय कर का अलग से पृथकिकरण होता है। संघ सरकार वित्त लेखा वि.व. 2015-16 में, ₹1,06,485 करोड़ की धनराशि संघीय उत्पाद शुल्क गैर विभाजनीय कर के रूप में दर्शाई गई है। 2011-12 से

2015-16 की अवधि के दौरान कुल वार्षिक उपकर संग्रहण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.7 उपकर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा उपकर	उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर	स्वच्छ उर्जा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	अन्य	कुल
2011-12	16899	8067	2580	8122	18362	3219	57249
2012-13	20946	9867	3053	14510	19979	2990	71345
2013-14	22837	11266	3082	14533	20478	4489	76685
2014-15	24219	11960	5393	14655	25122	4035	85384
2015-16	18783	9240	12676	14311	69540	7847	132397
वार्षिक वृद्धि दर (*प्रतिशत*)							
2011-12	16.94	11.67	142.03	7.45	6.75	7.87	13.36
2012-13	23.95	22.31	18.33	78.65	8.81	-7.11	24.62
2013-14	9.03	14.18	0.95	0.16	2.50	50.13	7.48
2014-15	6.05	6.16	74.98	0.84	22.68	-10.11	11.34
2015-16	-22.45	-22.74	135.05	-2.35	176.81	94. 47	55.06

तालिका 1.7 दर्शाती है कि 2015-16 के दौरान उपकर संग्रहण में 55.06% की समग्र वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान स्वच्छ उर्जा उपकर एवं सड़क उपकर में

इसी अवधि के दौरान क्रमश: 135.05% एवं 176.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि प्राथमिक शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर विकास दर में क्रमश: 22.45% एवं 22.74% की कमी आई है।

1.2.7 गैर-कर राजस्व

सरकार के गैर-कर राजस्वों को दो संघटकोः इसके शासकीय कार्यों जैसे न्यायपालिका पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के आदि; से आय तथा इसकी परिसम्पत्तियों/ विनिवेशों अथवा लाभांश या उपभोक्ता प्रभारो जैसे कि रेलवे, डाक तथा विभागीय उपक्रमों से सृजित से बना माना जा सकता है। गैर कर राजस्व की संरचना **तालिका 1.8** में दी गयी है।

तालिका 1.8: गैर-कर राजस्व की संरचना (अंश एवं वृद्धि की प्रवृत्ति)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14.48	18.30	0.36	57.23	9.63
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
2015-16	486462	46325	112136	10100	279710	38191
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	9.52	23.05	2.08	57.50	7.85
वृद्धि की वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55
2015-16	15.39	-3.50	24.79	482.12	14.86	-0.72

#बाह्य अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान एवं योगदान शामिल है।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाएं डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि शामिल हैं।

*** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)*

2015-16 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57.50 प्रतिशत) ऐसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं **(तालिका 1.8)**। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 9.52 प्रतिशत (पिछले वर्ष से 1.87 प्रतिशतता बिन्दु कम) रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगदान लगभग 23.05 *प्रतिशत* रहा (पिछले वर्ष से 1.73 प्रतिशतता बिन्दु अधिक)। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2014-15 में 6.18 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 15.39 प्रतिशत हो गयी। यह मुख्यत: सामाजिक सेवाओं में 2014-15 में 31.84 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 482.13 प्रतिशत, लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (2014-15 में-0.64 प्रतिशत से 2015-16 में 24.79

प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक सेवाओं (2014-15 में 6.96 प्रतिशत से 2015-16 में 14.86 प्रतिशत) से प्राप्तियों में उच्च वृद्धि के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 'सूचना एवं प्रचार' से ₹2,552 करोड़ तथा 'प्रसारण' से ₹6,753 करोड़ की प्राप्ति के कारण 2015-16 के दौरान 482.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं से प्राप्ति गैर-कर राजस्व का मुख्य संघटक है। ब्यौरे **तालिका 1.9** में दिये गये हैं।

तालिका 1.9: आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व के प्रमुख संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईन	पेट्रोलियम	सड़क एवं पुल	अन्य सामान्य आर्थिक सेवांए	कोयला एवं लिग्नाइट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2011-12	103312 (37.35)	12581 (4.55)	3053 (1.10)	3595 (1.30)	36 (0.01)	285 (0.10)
2012-13	122953 (39.54)	14806 (4.76)	4007 (1.29)	3148 (1.01)	88 (0.03)	311 (0.10)
2013-14	138776 (34.95)	16525 (4.16)	5298 (1.33)	3368 (0.85)	136 (0.03)	345 (0.09)
2014-15	155904 (36.98)	14480 (3.43)	6103 (1.45)	4774 (1.13)	6179 (1.47)	348 (0.08)
2015-16	163497 (33.61)	9492 (1.95)	6889 (1.42)	5231 (1.08)	545 (0.11)	363 (0.07)

कोष्ठक में आंकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, वृद्धि के लिए मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप उत्तरदायी थेः 'भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाइनें') जो 2014-15 में ₹1,55,904 करोड़ से 2015-16 में ₹1,63,497 करोड़ तक बढ़ा, 'सड़कें एवं पुल' से प्राप्तियां जो उसी अवधि के दौरान ₹6,103 करोड़ से ₹6,889 करोड़ तक बढ़ीं। फिर भी कोयला एवं लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम से राजस्व पिछले वर्षों से 2015-16 में कम हुआ। जो कि क्रमशः ₹6,179 करोड़ की तुलना में ₹545 करोड़ तथा ₹14,480 करोड़ की तुलना में ₹9,492 करोड़ रहा।

लाभांश एवं लाभ के रूप में प्राप्त गैर कर राजस्व के ब्यौरे **तालिका 1.10** में दिये गये हैं।

तालिका 1.10: लाभांश एवं लाभ का संघटन

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंश	लोक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंको से लाभ का अंश	अन्यों से लाभांश	कुल लाभांश तथा लाभ	गैर कर राजस्व
2011-12	15009 (5.43)	29034 (10.50)	5029 (1.82)	1537 (0.56)	50609	276573
2012-13	16010 (5.15)	30630 (9.85)	5656 (1.82)	1466 (0.47)	53762	310977
2013-14	33010 (8.31)	47333 (11.92)	8184 (2.06)	1915 (0.48)	90442	397028
2014-15	52679 (12.50)	32996 (7.83)	2456 (0.58)	1730 (0.41)	89861	421582
2015-16	65896 (13.55)	39897 (8.20)	4214 (0.87)	2129 (0.44)	112136	486462

कोष्ठक में आकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते है।

आरबीआई से अधिशेष लाभ अंतरण जो कि 2014-15 में गैर-कर राजस्व का 12.50 प्रतिशत था 2015-16 में 13.55 प्रतिशत तक बढ़ा। लोक उपक्रमों से लाभांश, 2014-15 के ₹32,996 करोड़ से 2015-16 में ₹39,897 करोड़ तक बढ़ा।

1.2.8 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान, बी.ई. की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियां काफी कम थी। दूसरी ओर, कथित अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, बी.ई. से काफी अधिक रही, जिससे बी.ई. को तैयार करने में कमी का पता चलता है **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	ब.अ.	वास्तविक*	वास्तविक की ब.अ. से प्रतिशतता	ब.अ.	वास्तविक	वास्तविक की ब.अ. से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35
2015-16	69500	42132	60.62	22714	41878	184.37

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं संघ सरकार के वित्त लेखे

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं है।*

विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग विनिवेश बनाता है। **चार्ट 1.3** दर्शाता है कि तीन ईकाईयों अर्थात् भारतीय तेल निगम लि., एनटीपीसी लि. तथा हिन्दुस्तान वैमानिकी लि. ने कुल ₹24,311 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों के 76.79 प्रतिशत (₹18,668 करोड़) का योगदान किया था। अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके शेयरों का विनिवेश किया गया, विद्युत वित्त निगम (₹1,672 करोड़, 6.88 प्रतिशत) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (₹1,608 करोड़, 6.62 प्रतिशत) तथा अन्य[1] (₹2,362 करोड़, 9.72 प्रतिशत) थे।

चार्ट 1.3 विनिवेश प्राप्तियों के संघटक

(₹ करोड़ में)

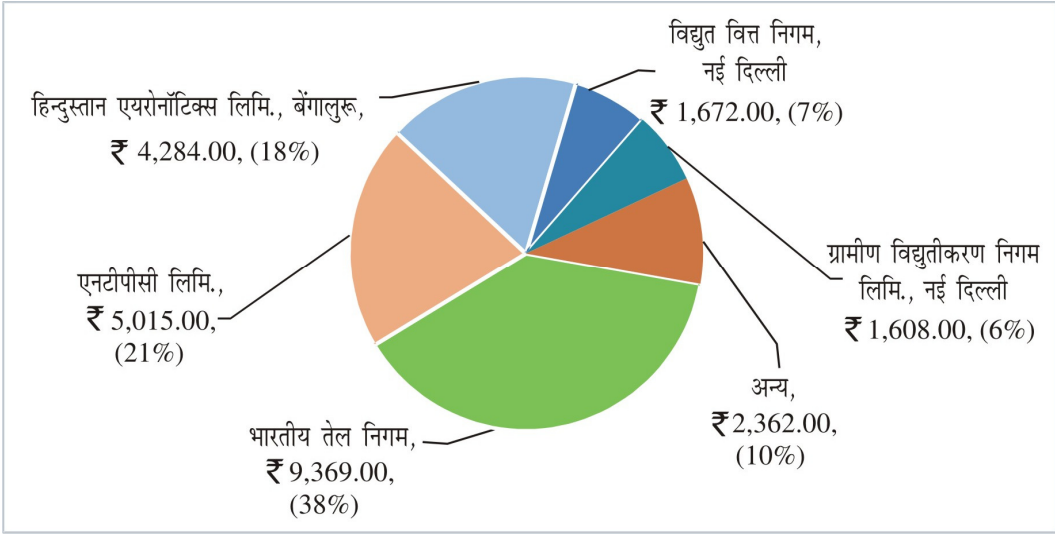

1.2.9 निवेशों पर रिटर्न

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों इत्यादि की मंत्रालय/विभागवार संख्या तथा इनमें निवेश के ब्यौरों सहित वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त लाभांश के विवरण **तालिका 1.12** में प्रस्तुत किए गए हैं।

[1] अन्य में नौ कंपनियां शामिल हैं नामतः ड्रैजिंग कॉर्पोरेशन लि., ईआईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकोर), भारत डायनेमिक लि., विशाखापत्तनम् स्टील परियोजना, मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि., चंडीगढ़ स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, द मनीमाजरा कॉपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी लि. तथा द मनीमाजरा, पट्टी तरली, कॉप. एग्रीकल्चर सोसायटी।

तालिका 1.12: लाभांश का भुगतान करने वाले पीएसयू की संख्या

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	पीएसयू की संख्या	प्राप्त लाभांश	मंत्रालय/विभाग	पीएसयू की संख्या	प्राप्त लाभांश
नागर विमानन एवं पर्यटन	4	841	कोयला	3	14271
वित्त	8	3215	उद्योग	5	124
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	8	8612	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	1	204
इस्पात एवं खान	11	5264	पोत परिवहन	4	117
रेल	7	657	शहरी मामले	2	100
रक्षा	8	965	परमाणु उर्जा	6	773
विद्युत	9	6566	अन्य *	36	71004
कुल				**112**	**112713****

स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 11

**अन्य में राज्य सहकारी बैंक/संस्थान शामिल हैं।*

***2015-16 में प्राप्त लाभांश प्राप्ति की तुलना में तालिका 1.10 के आंकड़ों में अंतर के लिए अध्याय 2 की तालिका 2.5 देखें।*

वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार ने 336 पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) में ₹6,07,604.78 करोड़ के कुल निवेश के एवज में 112 सरकारी कंपनियों एवं निगमों से ₹1,12,713 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया जो कि 31 मार्च 2016 को निवेश का 18.55 प्रतिशत था। 31 मार्च 2016 को प्रगामी कुल निवेश 31 मार्च 2015 के ₹4,72,159.22 करोड़ से बढ़कर ₹6,07,604.78 करोड़ हो गया। लाभांश के प्रमुख अंशदाता थे जीवन बीमा निगम (₹1,804 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. (₹3,391 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड, (₹13,785 करोड़), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. (₹1,256.14 करोड़), एन.टी.पी.सी. (₹2,072 करोड़), पावर फाइनैंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली (₹1,243.94 करोड़), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹1,529.22 करोड़), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (₹1,720.80 करोड़), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., (₹3,901.49 करोड़), भारतीय रिजर्व बैंक (₹65,896.42 करोड़) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (₹4,214.30 करोड़)।

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि तथा लोक लेखा से 2015-16 के लिए कुल संवितरण ₹69,66,982 करोड़ के थे, जैसा कि **बॉक्स 1.2** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के संघटक

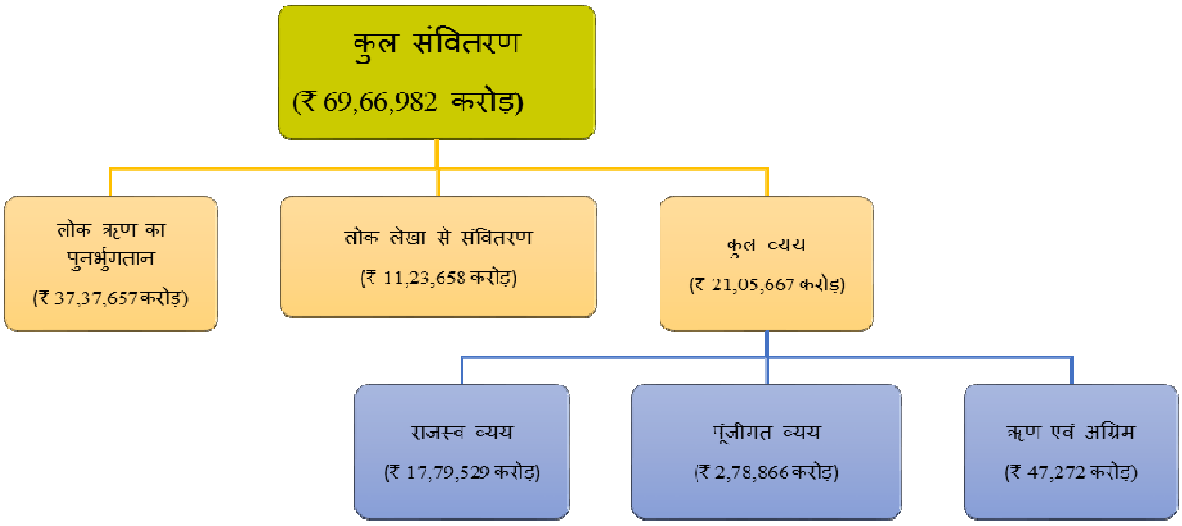

वर्ष 2015-16 में कुल संवितरण ₹ 65,39,743 करोड़ के वर्ष 2014-15 से 6.53 *प्रतिशत* तक बढ़े। ₹ 69,66,982 करोड़ के कुल संवितरण में से सीएफआई से संवितरण 83.87 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 53.65 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय 30.22 *प्रतिशत*) था। शेष 16.13 *प्रतिशत* संवितरण लोक लेखा से था।

तालिका: 1.13 दर्शाती है कि कुल व्यय का अंश वर्ष 2014-15 के 29.19% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 30.22% हो गया है।

तालिका 1.13: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल संवितरण के घटक					
ऋण का पुनर्भुगतान	3495929 (62.06)	3426893 (60.27)	3511291 (59.11)	3707700 (56.70)	3737657 (53.65)
लोक लेखा से संवितरण	654043 (11.61)	656403 (11.54)	654239 (11.01)	922899 (14.11)	1123658 (16.13)
कुल व्यय (टी.ई.)	**1483064** (26.33)	**1602918** (28.19)	**1774941** (29.88)	**1909144** (29.19)	**2105667** (30.22)
कुल व्यय के घटक					

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1305195 (88.01)	1420473 (88.62)	1575097 (88.74)	1695137 (88.79)	1779529 (84.51)
पूंजीगत व्यय (सी.ई.)	139465 (9.40)	150382 (9.38)	168844 (9.51)	172085 (9.01)	278866 (13.24)
ऋण व अग्रिम (एल.ए.)	38404 (2.59)	32063 (2.00)	31000 (1.75)	41922 (2.20)	47272 (2.24)

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2014-15 में 56.70 *प्रतिशत* से 2015-16 में 53.65 *प्रतिशत* तक घट गया है। 2011-15 के दौरान कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा जो कि 2015-16 में 84.51 प्रतिशत तक घटा।

1.3.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में लेन देन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। फिर इन्हें क्षेत्रों में समूहित किया जाता है नामत: सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें।

तालिका 1.14 क्षेत्रीय व्यय का समेकित चित्र प्रस्तुत करता है। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में सामान्य सेवाओं ने 2011-12 में 46.25 प्रतिशत से 2015-16 में 50.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। इसी अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं में वृद्धि 41 से 45 प्रतिशत के बीच रही है।

तालिका 1.14:- संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं		आर्थिक सेवाएं		कुल
	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	
2011-12	597504	46.25	119953	9.29	574371	44.46	1291828
2012-13	666406	47.42	124725	8.87	614306	43.71	1405437
2013-14	767915	49.14	142426	9.12	652316	41.74	1562657
2014-15	843093	54.16	68663	4.41	645003	41.43	1556759
2015-16	896486	50.56	100682	5.68	775879	43.76	1773047

टिप्पणियां:- क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सं.शा.क्षे. सरकारों को कर्जे तथा सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, शामिल नहीं है।

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता। यह सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है। कार्यों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (प्रशासन तथा रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं से बना माना जा सकता है। इसमें सहायता अनुदान (जीआईए) तथा राज्यों, संघ शासित प्रदेशों एवं विदेशी सरकारों को अंशदान भी शामिल है। **तालिका 1.15** राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सामान्य सेवाएं*	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	जीआईए एवं योगदान	कुल
2011-12	521326 (39.94)	111577 (8.55)	492398 (37.73)	179894 (13.78)	1305195 (100)
2012-13	586927 (41.32)	116712 (8.22)	535434 (37.69)	181400 (12.77)	1420473 (100)
2013-14	679852 (43.16)	133981 (8.51)	561860 (35.67)	199404 (12.66)	1575097 (100)
2014-15	752908 (44.42)	59437 (3.50)	544682 (32.13)	338109 (19.95)	1695137 (100)
2015-16	804758 (45.22)	88444 (4.97)	569645 (32.01)	316682 (17.80)	1779529 (100)
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)					
2011-12	14.69	-8.52	9.46	12.61	10.04
2012-13	12.58	4.60	8.74	0.84	8.83
2013-14	15.83	14.80	4.94	9.93	10.89
2014-15	10.75	-55.64	-3.06	69.56	7.62
2015-16	6.89	48.80	4.58	-6.34	4.98

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल राजस्व व्यय की वृद्धि 2013-14 में 10.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 प्रतिशत में 7.62 प्रतिशत से 2015-16 में 4.98 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से कम हुआ है। 'जीआईए तथा अंशदान' पर व्यय में 2014-15 में 69.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। क्योंकि सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के बड़े अंश का जीआईए तथा अंशदान में अंतरण किया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीआईए तथा अंशदान में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 6.34% की कमी आई।

(क) सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय

तालिका 1.16 2011-16 की अवधि के दौरान सेवाओं के मुख्य संघटको पर व्यय तथा उनकी वार्षिक वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.16: सामान्य सेवाओं के सघंटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	रक्षा सेवाएं	अन्य	कुल
2011-12	286982	42294	72873	107624	11553	521326
2012-13	330171	47201	80766	116485	12304	586927
2013-14	395200	53509	87552	129890	13701	679852
2014-15	425098	59698	107911	145146	15055	752908
2015-16	457270	66286	111285	151600	18317	804758
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	17.29	15.58	9.30	11.65	13.04	14.69
2012-13	15.05	11.60	10.83	8.23	6.50	12.58
2013-14	19.70	13.36	8.40	11.51	11.35	15.83
2014-15	7.57	11.57	23.25	11.75	9.88	10.75
2015-16	7.57	11.04	3.13	4.45	21.67	6.89

ब्याज भुगतान पर व्यय सामान्य सेवाओं का 56.82 प्रतिशत बनता है। वर्ष 2015-16 में ब्याज भुगतान पर व्यय की वृद्धि 7.57% रही है परन्तु पूर्णावधि में यह वृद्धि 32,172 करोड़ थी। पेंशन एवं विभिन्न सामान्य सेवाओं में वार्षिक वृद्धि 2014-15 में 23.25% की तुलना में 2015-16 में 3.13% रही।

(ख) सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

संघ सरकार द्वारा शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एससी, एसटी एवं ओबीसी का कल्याण; श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदा हेतु राहत आदि सहित सामाजिक सेवाओं पर व्यय लेखाशीर्ष के तहत संघ सरकार के व्यय में पिछले वर्ष से 2015-16 में वृद्धि दर्शाई है **(तालिका 1.17)** जो सामाजिक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दर्शाता है।

तालिका 1.17: सामाजिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
2011-12	57251	21399	19527	660	12740	111577
2012-13	62741	22460	19503	348	11660	116712
2013-14	68480	26824	22358	606	15713	133981
2014-15	30636	1899	11142	1564	14196	59437
2015-16	33038	4654	13202	3377	34173	88444
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	11.72	-4.86	7.95	3.13	-56.81	-8.52
2012-13	9.59	4.96	-0.12	-47.27	-8.48	4.60
2013-14	9.15	19.43	14.64	74.14	34.76	14.80
2014-15	-55.26	-92.92	-50.17	158.09	-9.65	-55.64
2015-16	7.84	145.08	18.49	115.92	140.72	48.80

(i) जलापूर्ति एवं स्वच्छता, (ii) 'एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण' क्षेत्र के अंश में वृद्धि के कारण 2015-16 में क्रमश: 145.08% एवं 115.92 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 2015-16 में प्रसार भारती को अनुदान में काफी हद तक वृद्धि हुई जो कि 2014-15 के ₹ 2,458 करोड़ की तुलना में ₹ 13,913 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप अन्य में 140.72% तक व्यय में वृद्धि हुई।

(ग) आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं के संघटकों पर राजस्व व्यय में प्रवृतियों के साथ-साथ 2011-16 के दौरान उनकी वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.18** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.18: आर्थिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	अन्य	कुल
2011-12	148767	142096	83100	35391	83044	492398
2012-13	158525	153714	105680	34775	82740	535434
2013-14	174475	159327	96622	40969	90467	561860
2014-15	190721	170066	75014	52990	55891	544682
2015-16	201625	202375	42475	53204	69966	569645
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	5.79	5.84	72.10	-10.64	-4.61	9.46
2012-13	6.56	8.18	27.17	-1.74	-0. 37	8.74
2013-14	10.06	3.65	-8.57	17.81	9.34	4.94
2014-15	9.31	6.74	-22.36	29.34	-38.22	-3.06
2015-16	5.72	19.00	-43.38	0.40	25.18	4.58

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं क्षेत्र में 2014-15 में 6.74 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 19 प्रतिशत की वृद्धि दिखी। 2013-14 से ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि रही है जिसका मुख्य कारण एलपीजी एवं केरोसिन सहित पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी की वजह से व्यय में कमी है।

1.3.2.1 प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृति

(क) ब्याज भुगतान:

यह शीर्ष लोक ऋण पर ब्याज (दोनों आंतरिक तथा बाह्य) तथा सरकार की अन्य ब्याज वहन करने वाली देयताओं के भुगतान का प्रावधान करता है जिसमें बीमा एवं पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न कम्पनियों, निगमों आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं। यह ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय को भी सम्मिलित करता है। राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वर्तमान वर्ष में 25.70 प्रतिशत रहा (**तालिका 1.19**)।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	ब्या.भु. की वृद्धि	आरई को आईपी अंश
2011-12	286982	910277	1305195	17.29*	21.99
2012-13	330171	1055891	1420473	15.05	23.24
2013-14	395200	1217793	1575097	19.70	25.09
2014-15	425098	1328910	1695137	7.57	25.08
2015-16	457270	1436160	1779529	7.57	25.70

**वर्ष 2010-11 में ब्याज भुगतान पर व्यय ₹2,44,681 करोड़ था।*

2015 -16 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक **चार्ट 1.4** में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹4,57,270 करोड़) का 89 *प्रतिशत* (₹4,05,242 करोड़) था।

चार्ट 1.4: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

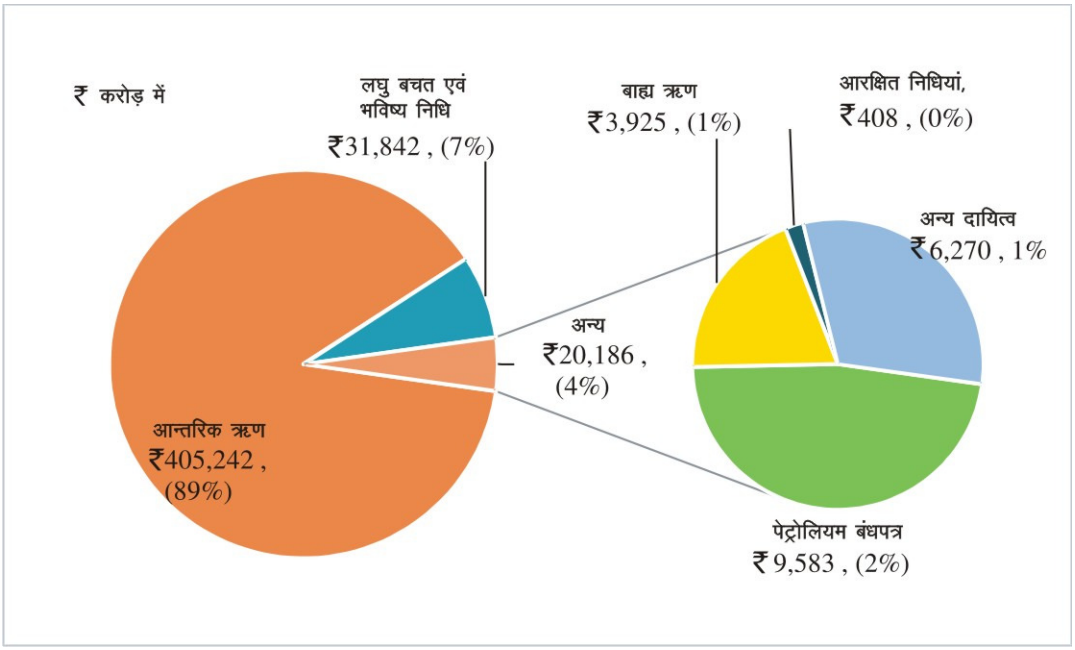

शून्य प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से कम दर्शाती है।

(ख) पेंशन भुगतान

पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2014-15 में ₹ 93,611 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 96,771 करोड़ हो गया। रक्षा पेंशनों के मामले में, इसमें थोड़ी गिरावट आयी और यह 2015-16 ₹ 60,238 करोड़ रहा। पांच वर्षों की अवधि

के दौरान, रक्षा पेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 60-65 प्रतिशत के बीच रहा **(चार्ट 1.5)**।

चार्ट 1.5: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

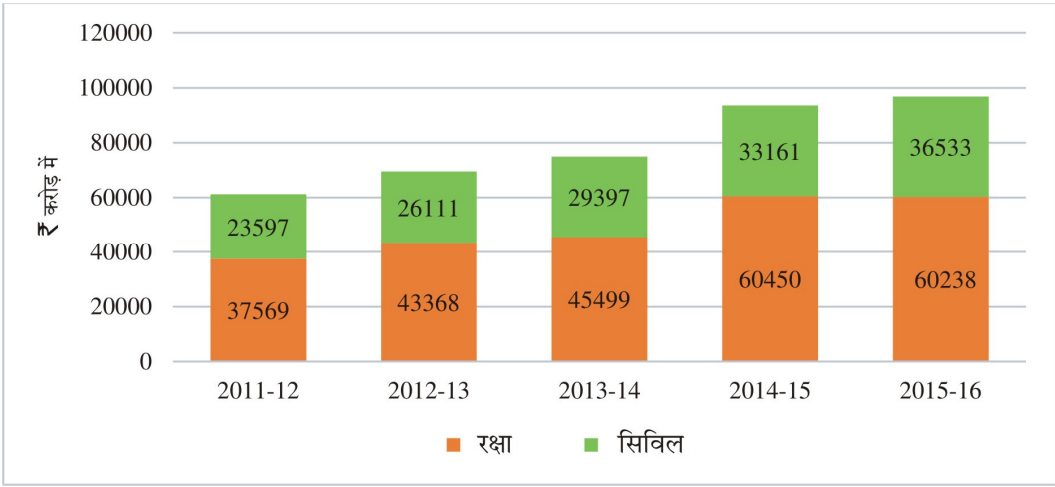

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे का मुख्य शीर्ष 2071। इसमें डाक एवं रेल विभाग के आंकड़े शामिल नहीं है।

1.3.2.2 आर्थिक सहायता प्रबन्धन

आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त लोक सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.20** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.20: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायता

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता जी डी पी के प्रतिशत के रूप में	आर्थिक सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में
	(₹करोड़ में)						*प्रतिशतता*	
2011-12	72822 (14)	33924 (39)	36108 (-13)	68481 (78)	6567 (-32)	217902 (23)	2.49	16.69
2012-13	85000 (17)	35132 (4)	30576 (-15)	96880 (41)	9591 (46)	257179 (18)	2.58	18.11
2013-14	92000 (8)	38038 (8)	29427 (-4)	85378 (-12)	9902 (3)	254745 (-1)	2.26	16.17
2014-15	117671 (28)	50423 (33)	20667 (-30)	60269 (-29)	9269 (-6)	258299 (1)	2.07	15.24
2015-16	139419 (18)	50478 (0)	21938 (6)	29999 (-50)	16637 (80)	258471 (0)	1.90	14.52

@ देशी एंव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

 # विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

कोष्ठक में आंकड़े वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, आदि शामिल है।*

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का अधिकतम भाग खाद्य, उरर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं की ओर था। आर्थिक सहायता पर कुल व्यय पिछले दो वर्षों (2014-16) के दौरान लगभग वही रहा। हालांकि, खाद्य एवं विनियंत्रित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष 2015-16 में क्रमश: ₹21,748 करोड़ (18 प्रतिशत) और ₹1,271 करोड़ (छ: प्रतिशत) तक वृद्धि हुई थी। 2015-16 में ब्याज आर्थिक सहायता पर व्यय में वृद्धि के कारण, 'अन्य' शीर्ष के अंतर्गत व्यय में 2014-15 में 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी। पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता पर व्यय 2015-16 में 50% कम हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के स्तर पर आर्थिक सहायताओं पर राशि को रोक दिया।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2014-15 में 2.07 प्रतिशत से 2015-16 में 1.90 प्रतिशत तक कम हो गया था। उसी प्रकार, उस अवधि के दौरान राजस्व व्यय में आर्थिक सहायता पर व्यय का अंश 15.24 प्रतिशत से 14.52 प्रतिशत तक कम हो गया था।

चार्ट 1.6 आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 में ₹2,58,471 करोड़ की कुल आर्थिक सहायता व्यय में से 54 प्रतिशत खाद्य पर था, 28 प्रतिशत उर्वरक पर, 12 प्रतिशत पेट्रोलियम पर तथा 6 प्रतिशत अन्य आर्थिक सहायताओं पर खर्च किया गया था।

चार्ट 1.6: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक

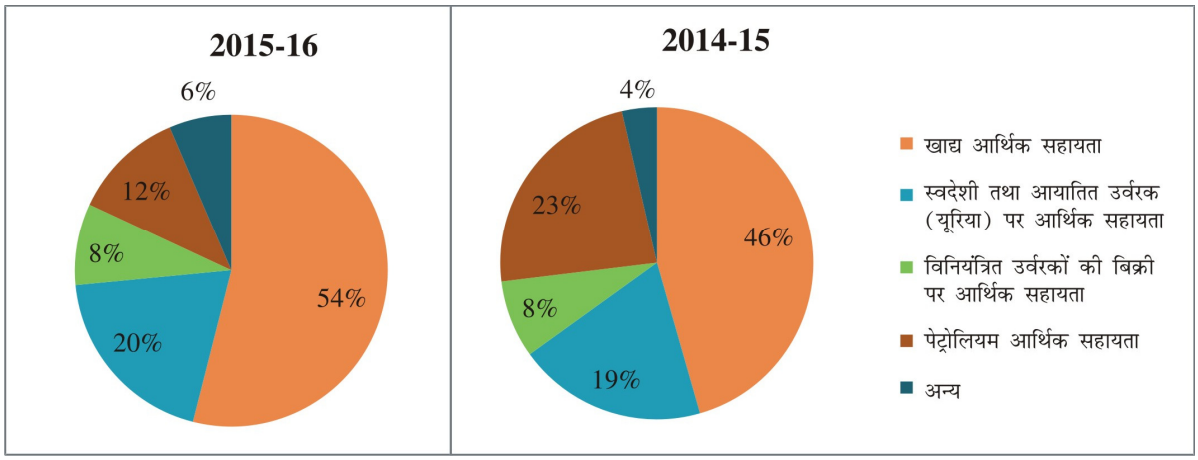

खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल त्रावणकोर लि. तथा राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लि., खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लेखाओं की जांच की गई और इस लेखापरीक्षा के दौरान सहसंबंध स्थापित किया गया था।

इस जांच के आधार पर, यह प्रकट हुआ कि ₹70,144.67 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफ सी आई को ₹37,776.56 करोड़ और उर्वरक को ₹5,088.05 करोड़ तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में ₹ 27,280.06 करोड़) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है। ₹70,144.67 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2015-16 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो सब्सिडी पर कुल व्यय ₹70,144.67 करोड़ से अधिक होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 1.90 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में जी डी पी का 2.42 प्रतिशत होता। इसके अतिरिक्त यदि चौथी तिमाही के दावों के

अतिरिक्त बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित कुल जोड़ में लिए जाते 2015-16 के दौरान ₹1,62,529.50 करोड़ की राशि तब 2015-16 मे कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹4,21,000.50 करोड़ प्रस्तुत की गई होता जो जी डी पी का 3.10 प्रतिशत बनता है।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

तालिका 1.21 में परिसंपत्ति सृजन अथवा संघ सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता एवं 2011-16 की अवधि हेतु वृद्धि के वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए किए गये पूंजीगत व्यय का सारांश दिया गया है।

तालिका 1.21: पूंजीगत व्यय के क्षेत्रीय घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सामान्य सेवाएं	76178 (7.39)	79479 (4.33)	88063 (10.80)	90185 (2.41)	91727 (1.71)
रक्षा सेवाएं	67902 (9.42)	70499 (3.82)	79125 (12.24)	81887 (3.49)	79958 (-2.36)
पुलिस	5524 (10.73)	6123 (10.85)	6417 (4.80)	6035 (-5.95)	9177 (52.06)
लोक निर्माण	1116 (-56.67)	1270 (13.74)	1431 (12.66)	1076 (-24.78)	1001 (-6.97)
अन्य	1636 (24.62)	1587 (-3.00)	1090 (-31.32)	1187 (8.90)	1591 (34.04)
सामाजिक सेवाएं	4583 (15.49)	5102 (11.32)	3813 (-25.26)	4875 (27.85)	5407 (10.91)
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2699 (18.90)	3100 (14.86)	1909 (-38.42)	2880 (50.86)	3496 (21.39)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1141 (20.49)	1353 (18.58)	1280 (-5.40)	938 (-26.72)	1025 (9.28)
अन्य	743 (-60.59)	649 (-0.13)	624 (-3.86)	1057 (69.40)	886 (-16.18)
आर्थिक सेवाएं	58704 (-10.74)	65801 (12.09)	76968 (16.97)	77025 (0.07)	181732 (135.94)
परिवहन	30725 (4.59)	36361 (18.34)	48708 (33.96)	53154 (9.13)	68854 (29.54)
उद्योग एवं खनिज	2599 (21.78)	2305 (-11.31)	3230 (40.13)	4013 (24.26)	3634 (-9.44)

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2160 (-10.48)	2438 (12.86)	3080 (26.33)	3188 (3.53)	4040 (26.73)
विद्युत	2763 (326.46)	1083 (-60.79)	733 (-32.36)	945 (28.92)	2105 (122.75)
अन्य	20457 (-34.50)	23614 (15.43)	21217 (-10.15)	15725 (-25.89)	103099 (555.64)
कुल	**139465 (-0.86)**	**150382 (7.83)**	**168844 (12.28)**	**172085 (1.92)**	**278866 (62.05)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता में वृद्धि को दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष के तुलना में ₹106781 करोड़ (62.05 प्रतिशत) वृद्धि हुई और यह 2015-16 में ₹2,78,866 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014-15 के 9.01 प्रतिशत से 2015-16 में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **(तालिका 1.13)**

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष से वर्ष 2015-16 में 135.94 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह ठोस वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश (₹25,000 करोड़), आईएमएफ में अंशदान (₹ 68,252 करोड़), एशियन डवलपमेंट बैंक (₹ 2,236 करोड़) तथा विश्व बैंक में (₹ 993 करोड़) निवेश के कारण ही संभव हो पाई।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, 'पुलिस' (52.06 प्रतिशत) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय, विगत वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3.3.1 जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)

जी डी पी से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय इन क्षेत्रों को प्रदत्त सापेक्ष प्राथमिकताओं को इंगित करता है। 2011-16 के दौरान, संघ सरकार का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल मिलाकर जीडीपी का 6.92 प्रतिशत था। **तालिका 1.22** सामाजिक सेवाओं (अर्थात् शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास) पर व्यय का अंश दर्शाती है, उसमें 2011-12 से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है और साथ में यह जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत बनाता है।

तालिका 1.22: जी डी पी के प्रतिशत के रूप में व्यय के महत्वपूर्ण घटक

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	उद्योग एवं खनिज	शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जल आपूर्ति स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास
2011-12	2.05	1.64	0.43	0.66	0.24	0.28
2012-13	1.96	1.56	0.37	0.63	0.21	0.26
2013-14	1.98	1.42	0.39	0.61	0.21	0.25
2014-15	1.95	1.37	0.46	0.25	0.10	0.04
2015-16	1.99	1.49	0.42	0.25	0.10	0.06

2011-16 की अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं (अर्थात् कृषि, परिवहन एवं उद्योग) में व्यय अंश जीडीपी का लगभग चार प्रतिशत है।

1.3.4 राज्यों/यूटी को अंतरण

भारत में प्रचलित सहकारी संघवाद के अंतर्गत, वित्तीय संसाधन संघ सरकार से राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरित किए जाते हैं ताकि देश के संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता के द्वारा लोगों के जीने के स्थायी मानक और उसमें तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय संसाधनों को राज्यों को अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ कर राजस्वों की कुल प्राप्तियों में अंश के रूप में अंतरित किया जाता है, इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 273, 275 और 293 के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान एवं ऋणों को प्रदान करता है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने कर न्यागमन को राज्यों को संसाधनों के अंतरण हेतु प्राथमिक रास्ते की दृष्टि से देखा है। राज्यों की आवश्यकताओं की गणना करने में, एफएफसी ने योजनागत एवं गैर योजनागत अंतर को नजर अंदाज किया और 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक करों के डिविजिनल पूल के संवर्धित न्यागमन को अनुदानों से कर न्यागमन के अंतरणों में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में मान लिया गया था। इस संवर्धित आवंटन ने पूर्व योजना आयोग द्वारा किए गए अंतरणों द्वारा संसाधन आवंटन द्वारा रिक्त स्थान को भर दिया है।

वित्त वर्ष 2015-16 एफएफसी के पांच वर्ष (2015-16 से 2019-20) की निर्णय अवधि को शामिल करने वाला प्रथम वर्ष है। नीचे दी गई **तालिका 1.23** 2011-16 के दौरान संघ से राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को संसाधनों का अंतरण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.23: राज्यों/सं.शा.क्षे. को अंतरण

(₹ करोड़ में)

	राज्यों/सं.शा.क्षे. को अंतरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 के समक्ष अंतरण में भिन्नता (%)
1.	राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क						
1.2	निगम कर	100720	104964	107296	118235	159742	35.11
1.3	आयकर	51161	62840	70651	84431	110933	31.39
1.4	सीमा शुल्क	44367	48558	52054	54759	81248	48.37
1.5	उत्पाद शुल्क	28709	33000	36764	30920	67717	119.01
1.6	सेवा कर	30067	42007	51170	49141	86138	75.29
1.7	अन्य कर	390	178	295	322	415	28.88
	कुल (1)	255414	291547	318230	337808	506193	49.85
2.	राज्यों/सं.शा.क्षे. को अन्य सहायता						
2.1	अनुदान [2]	177425	177708	194119	333040	311196	(-) 6.56
2.2	ऋण	10088	14059	11090	12012	12576	4.70
	कुल (2)	187513	191767	205209	345052	323772	(-) 6.17
	कुल अंतरण (1+2)	442927	483314	523439	682860	829965	21.54
3.	सकल कर राजस्व को कुल अंतरण की %	49.82	46.63	45.96	54.84	57.01	-
4.	कुल व्यय के कुल अंतरण की %	29.87	30.15	29.49	35.77	39.42	-

[2] वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 के अनुबंध के अनुसार राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता अनुदान के तौर पर ₹3,31,573 करोड़ जारी किए गए थे। हालांकि वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 3601 एवं 3602 के तहत दर्ज किया गया व्यय ₹3,11,196 करोड़ था।

तालिका 1.23 से यह देखा जा सकता है कि एफएफसी की अनुशंसा के अनुसार राज्यों से संघ कर राजस्वों को 10 प्रतिशत न्यागमन में वृद्धि होने के साथ, 2014-15 की तुलना में 2015-16 में राज्यों/यूटी को सौंपे गए कुल करों एवं कर्त्तव्यों में 49.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय अंतरण 6.56 प्रतिशत तक गिर गया है। 2014-15 में 30.46 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2015-16 में करों, अनुदानों एवं ऋणों के रूप में राज्यों के कुल अंतरण में 21.54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी।

संघ सरकार, वित्त लेखे 2015-16 में दर्शाए गए केन्द्रीय कर राजस्वों में अंश के रूप में राज्यों का अंतरण, अनुच्छेद 279(।) के अंतर्गत अंतिम अन्वेषण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

1.3.5 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में, सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, में से छः प्रमुख कार्यक्रमों का **तालिका 1.24** में विश्लेषण किया गया है।

छ: फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय आंशिक रूप (0.66 प्रतिशत की वृद्धि) से 2014-15 में ₹97,880 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹98,527 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। इन छ: योजनाओं में से, चार योजनाओं- मनरेगस, एसएसए, एमडीएम एवं आईएवाई ने बीई की तुलना में वृद्धि दर्ज की।

तालिका 1.24: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.ग्रा.स.यो.	कुल
2011-12	ब.अ.	40000	20413	10061	19838	10000	20000	120312
	वास्तविक	29213	20841	9891	17983	9872	19342	107142
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)26.97	2.10	(-)1.69	(-)9.35	(-)1.28	(-)3.29	(-)10.95
2012-13	ब.अ.	33000	24243	11643	22799	11075	24000	126760
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	100410
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)8.26	(-)1.53	(-)6.82	(-)18.15	(-)28.95	(-)62.98	(-)20.79

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.ग्रा.स.यो.	कुल
2013-14	ब.अ.	33000	26358	12879	23148	15184	21700	132269
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	110885
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)0.02	(-)5.90	(-)15.23	(-)16.26	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.17
2014-15	प्रावधान	34000	27349	12828	10254	16000	9852	110283
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	97880
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)3.01	(-)12.00	(-)17.97	(-)17.42	(-)30.59	8.99	(-)11.25
2015-16	ब.अ.	35721	21295	8964	8219	10025	14048	98272
	वास्तविक	36269	21613	9145	7984	10116	13400	98527
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	1.53	1.49	2.02	(-)2.86	0.91	(-)4.61	0.26

** 2015-16 हेतु बजट अनुभाग में अनुपूरक शामिल है।*

मनरेगस= महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सशिअ= सर्व शिक्षा अभियान, मभोयो= मध्याह्न भोजन योजना, राग्रास्वामि= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ईआयो= इंदिरा आवास योजना एवं प्र.ग्रा.स.यो. = प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1.3.6 लिंग आधारित बजट

लिंग आधारित बजट का आरंभ 2005-06 में हुआ। संघ सरकार का लिंग आधारित बजट संपूर्ण बजट के अंदर महिलाओं के लिए बनी योजनाओं पर पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभ पहुँचाने के लिए प्रस्तावित व्यय को उद्घाटित करता है। लिंग आधारित बजट से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बाँटा गया, यथा-भाग-क, योजनाएं जिसमे बजट प्रावधान का 100 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित थे भाग 'ख'-योजनाए जिसमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित था। वर्ष-वार बीई, आरई.एवं 2011-12 से 2015-16 तक तक बीई एवं आर ई के मध्य अंतर **तालिका 1.25** में दिये गये हैं।

तालिका 1.25: 2011-16 के दौरान लिंग आधारित बजटीय आबंटन

वर्ष	बी ई			आर ई			₹ करोड़ में	
	भाग क	भाग ख	कुल	भाग क	भाग ख	कुल	अंतर (बीई और आर ई में अंतर)	% अंतर का प्रतिशत
2011-12	20548.35	57702.67	78251.02	20496.57	56449.52	76946.09	(-)1304.93	(-) 1.67
2012-13	22968.93	65173.87	88142.80	18878.48	59232.96	78111.44	(-)10031.36	(-) 11.38
2013-14	27248.19	69885.51	97133.70	24285.11	61210.31	85495.42	(-) 11638.28	(-) 11.98
2014-15	21887.61	75856.63	97744.24	17424.88	64168.04	81592.92	(-) 16151.32	(-) 16.52
2015-16	16657.11	62600.76	79257.87	11388.41	69860.71	81249.12	(+) 1991.25	(+) 2.51

(स्रोत: व्यय बजट भाग-I)

तालिका 1.25 दर्शाती है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत 2011-12 से 2014-15 के दौरान बीई की तुलना में आरई में 1.67 प्रतिशत से लेकर 16.52 प्रतिशत तक की कमी हुई थी। तथापि, यह 2015-16 में अत्यल्प रूप से बढ़ा। बी ई 2015-16 में 34 मंत्रालयों/विभागों एवं 5 संघ शासित सरकारों ने लिंग आधारित बजट हेतु आबंटन किया था।

भाग क योजना में वर्ष 2015-16 के लिए ₹11,388.41 करोड़ के आरई के कुल आवंटन में से, ₹10.025 करोड़ (88 प्रतिशत) केवल एक योजना अर्थात् इंदिरा आवास योजना से संबंधित था जिसके प्रति ₹10,116 करोड़ का वास्तविक व्यय था।

निर्भया योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 हेतु बी ई में ₹1659.40 करोड़ का आबंटन था जो आगे ₹33.90 करोड़ तक आर ई में कम किया गया था। इसके प्रति, विभिन्न योजनाओं पर निर्भया निधि से ₹3.23 करोड़ का व्यय किया गया था। आर.ई. स्तर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा पर योजना से ₹653 करोड़ के आहरण प्रावधान के अलावा निर्भया निधि को अंतरण हेतु बजटीकृत ₹1000 करोड़ को आर.ई. स्तर पर निकाल लिया गया था।

1.4 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे **(बाक्स 1.3)** प्रयोग किए जाते हैं जो (I) राजस्व घाटा, (II) राजकोषीय घाटा और (III) प्राथमिक घाटा है।

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार

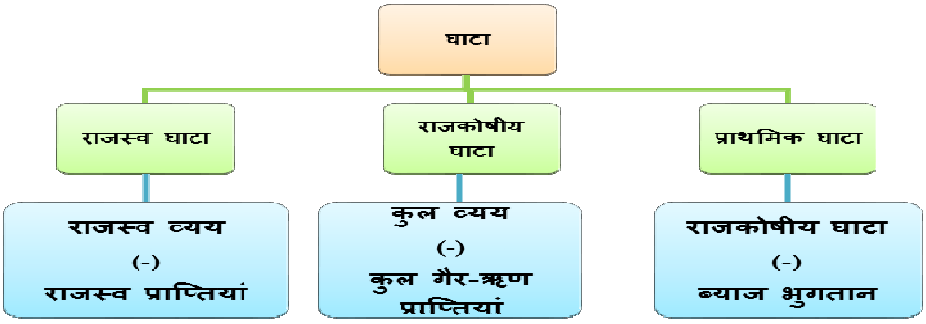

(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। तथा इस प्रकार यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणत: कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.26 दर्शाती है कि राजस्व घाटा 2014-15 में ₹3,66,228 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹3,43,369 करोड़ हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व घाटा 2014-15 में 2.93 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 2.53 प्रतिशत हो गया था।

तालिका 1.26: राजस्व घाटा

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	जीडीपी
	(₹ करोड़ में)					
2011-12	910277	1305195	394918	43.38	30.26	4.52
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.66
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.17
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.93
2015-16	1436160	1779529	343369	23.91	19.30	2.53

उपरोक्त को चार्ट 1.7 में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 राजस्व घाटा एवं जीडीपी की प्रतिशतता

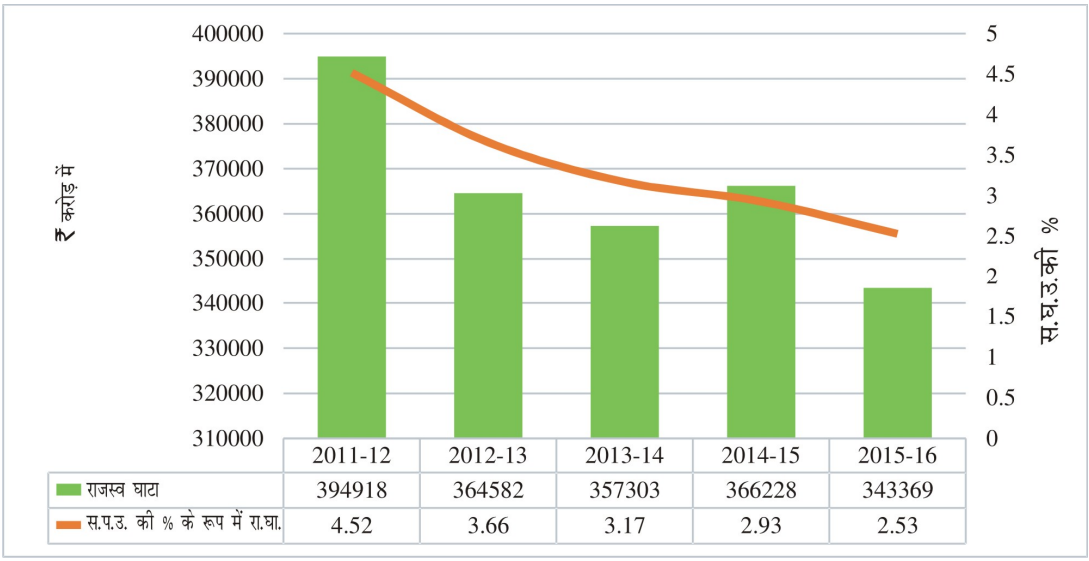

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) उधार राशियां या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसा कि **तालिका 1.27** में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 1.27: राजकोषीय घाटा

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
	(₹ करोड़ में)			गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय	स.घ.उ
2011-12	965183	1483064	517881	53.66	34.92	5.93
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.97
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.46
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.13
2015-16	1520170	2105667	585497	38.52	27.81	4.31

तालिका 1.27 दर्शाती है कि राजकोषीय घाटे में 2014-15 के ₹5,15,948 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹5,85,497 करोड़ तक वृद्धि हुई। जीडीपी के प्रतिशत के

रूप में, राजकोषीय घाटा 2014-15 के 4.13 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 4.31 प्रतिशत था।

चार्ट 1.8 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

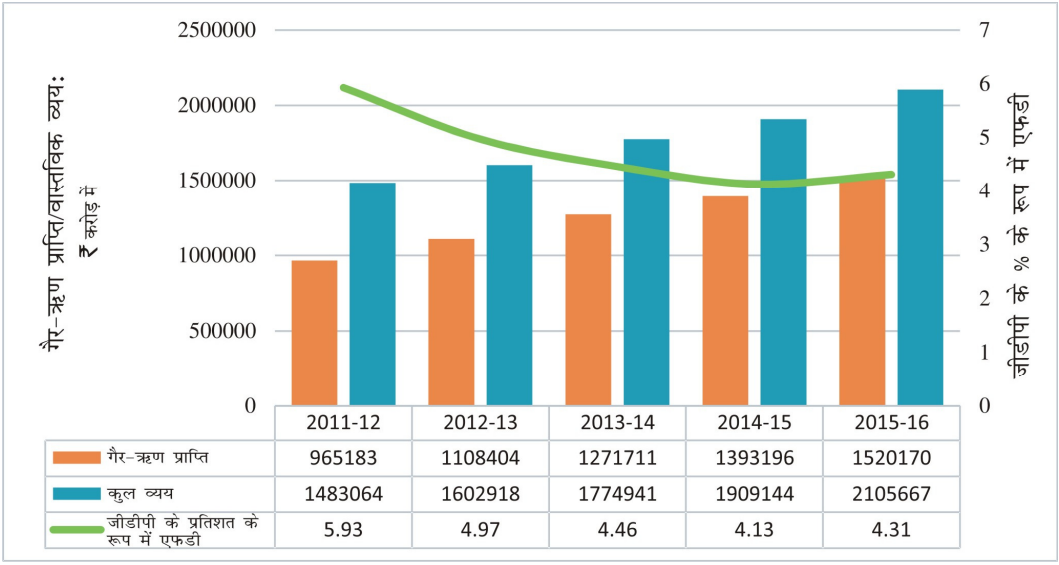

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-ऋण प्राप्ति	965183	1108404	1271711	1393196	1520170
कुल व्यय	1483064	1602918	1774941	1909144	2105667
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडी	5.93	4.97	4.46	4.13	4.31

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.28: राजकोषीय घाटे के संघटकों का अंश

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98
2015-16	58.65	40.43	0.92

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 1.28** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। ₹5,85,497 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, राजस्व लेखे के कारण ₹3,43,369 करोड़ (58.65 प्रतिशत) था, जो कि राजस्व घाटा प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का शेष अंश पूंजीगत लेखे में था। यह निवल पूंजीगत व्यय के अंश में काफी वृद्धि के कारण हुआ था जो कि 2014-15 में 26.04 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 40.43 प्रतिशत तक बढ़ा था।

तालिका 1.29 संघ सरकार के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के स्रोत को दर्शाती है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्त्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण (निवल)		वाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखे (निवल)		नकद निकासी कमी		राजकोषीय घाटा
	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	
2011-12	554799	107.13	12449	2.40	-33377	-6.44	-15990	-3.09	517881
2012-13	533944	107.97	7201	1.46	4380	0.89	-51011	-10.32	494514
2013-14	476383	94.67	7292	1.45	38721	7.69	-19166	-3.81	503230
2014-15	497564	96.44	12933	2.51	-72393	-14.03	77844	15.09	515948
2015-16	566544	96.76	12748	2.18	-6965	-1.19	13170	2.25	585497

(-) चिन्ह दर्शाता है कि संवितरण, प्राप्ति से अधिक थे।

जैसा कि यह तालिका से स्पष्ट है, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण से होता है। 2015-16 में वाह्य ऋण एवं नकदी नुकसान के अंश का भी उपयोग संघ सरकार को राजकोषीय स्थिति को समायोजित करने के लिए किया गया है।

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा धीरे धीरे 2011-12 में 2.64 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 0.94 प्रतिशत हुई थी जैसा कि **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है। तथापि, यह 2014-15 के 0.73 प्रतिशत की तुलना में अधिक था।

तालिका 1.30: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	जीडीपी के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.64
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.96
2014-15	515948	425098	90850	0.73
2015-16	585497	457270	128227	0.94

*ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलित है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर भरोसे का परिहार नहीं किया जा सकता है वहीं संघ सरकार (**बॉक्स 1.4**) जिसमें नीचे दी गयी 'भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं' निहित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं विवेकपूर्वक निर्धारित करती है। एफ.आर.बी.एम. नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए जीडीपी के नौ प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में जीडीपी के नौ प्रतिशत की सीमा जीडीपी के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी।

बॉक्स 1.4: राजकोषीय देयताएं

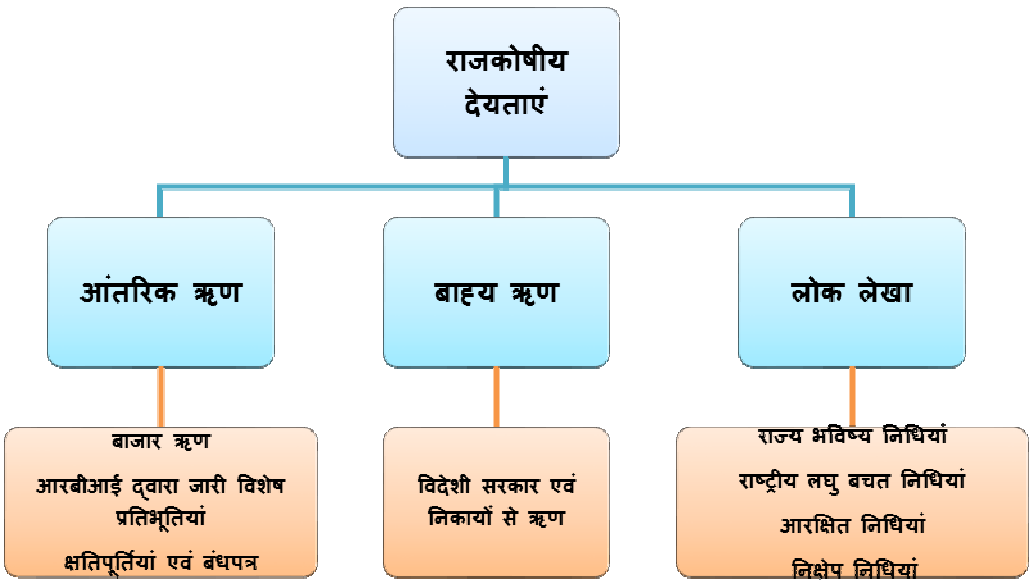

तालिका 1.31 आंतरिक ऋण की रचना को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न घटकों अर्थात् संबंधित वर्षों के अंत तक के बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बॉड आदि शामिल हैं।

तालिका 1.31: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	राजकोषीय बिल	प्रतिभूतियां जारी की गई			प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉड	अन्य	कुल
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	डाक जीवन बीमा			
2011-12	2516953 (77.91)	364835 (11.29)	29626 (0.92)	208183 (6.44)	14000 (0.43)	18705 (0.58)	78320 (2.43)	3230622 (100)
2012-13	2984309 (79.27)	418185 (11.11)	32226 (0.86)	216806 (5.76)	20894 (0.56)	13823 (0.37)	78321 (2.07)	3764566 (100)
2013-14	3441641 (81.16)	425950 (10.04)	35181 (0.83)	229165 (5.40)	20894 (0.49)	13614 (0.32)	74322 (1.76)	4240767 (100)
2014-15	3891734 (82.13)	435129 (9.18)	46395 (0.98)	261391 (5.52)	20894 (0.44)	13426 (0.28)	69322 (1.47)	4738291 (100)
2015-16	4300102 (81.06)	485822 (9.16)	106726 (2.01)	313856 (5.92)	20894 (0.39)	11114 (0.21)	66321 (1.25)	5304835 (100)

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण की प्रतिशतता को दर्शाता है।

तालिका 1.32 विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित था) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता, दोनों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: कुल राजकोषीय देयता

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आंतरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा देयताएं (3)	कुल देयता (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयता (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2011-12	3230622 (36.98)	170088 (1.95)	597765 (6.84)	3998475 (45.77)	322897 (3.70)	4151284 (47.52)
2012-13	3764566 (37.83)	177289 (1.78)	610016 (6.13)	4551871 (45.74)	332004 (3.34)	4706586 (47.30)
2013-14	4240767 (37.62)	184581 (1.64)	644060 (5.71)	5069408 (44.97)	374483 (3.32)	5259310 (46.66)
2014-15	4738291 (37.94)	197514 (1.58)	671010 (5.37)	5606815 (44.90)	366384 (2.93)	5775685 (46.25)
2015-16	5304835 (39.07)	210262 (1.55)	711608 (5.24)	6226705 (45.87)	406589 (2.99)	6423032 (47.31)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

**1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं कुछ अन्य साधन में निवेश की सीमा तक लघु बचतों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि परिचालनों में हुई हानियां के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

2012-15 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। हालांकि, यह 2014-15 में 46.25 प्रतिशत से 2015-16 में 47.31 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। 31 मार्च 2016 को आन्तरित ऋण कुल लोक ऋण का लगभग 96.19 प्रतिशत बना था। हालांकि वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते समय आंतरिक ऋण, कुल सार्वजनिक ऋण का 92.88 प्रतिशत बनता है। बाह्य ऋण का अंश कुल देयताओं के 3 प्रतिशत से भी कम है जो कि दर्शाता है कि देयता को वैश्विक अस्थिरता के प्रति प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। 2015-16 में ऋण स्टॉक का स्तर जीडीपी का 47.31 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश 43.60 प्रतिशत से अधिक था। **(तालिका 1.36)**

वित्त लेखा में आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2016 को, बकाया लोक लेखा देयताएं ₹7,11,608 करोड़ थीं, जैसा **तालिका 1.32** के कॉलम (3) में दर्शाया गया है। यह कुल ₹7,11,608 करोड़ में से, ₹5,13,096 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि तथा अन्य देयताओं के रूप में ₹1,98,512 करोड़ को शामिल करता है।

हालांकि, लघु बचतें, भविष्य निधि आदि के कारण जमाकर्ताओं के प्रति संघ सरकार की कुल देयता वास्तविक रूप से ₹12,31,500 करोड़ है और न कि ₹5,13,096 करोड़। इस प्रकार, देयता को दर्शाने में ₹7,18,404 करोड़ से ₹(12,31,500 - 5,13,096) करोड़ कम बताया गया। ₹5,13,096 करोड़ के कम आंकड़े जैसा वित्त लेखा के कथन सं. 2 में वर्णित किया गया है कुछ निवेशों एवं हानियों के नेटिंग के बाद पहुंच गया है। ₹7,18,404 करोड़ के वास्तविक आंकड़े जैसा वित्त लेखा के कथन सं. 2 में वर्णित किया गया है राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के परिचालन में संग्रहित घाटे ₹1,04,217 करोड़ के नेटिंग ऑफ के अतरिक्त विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹5,71,048 करोड़ निवेश तथा निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा के निवेश से संबंधित ₹43,139 करोड़ को शामिल करता है।

तालिका 1.33 लोक लेखा देयताओं के नेटेड तथा वास्तविक आंकड़ों दोनों को ध्यान में रखकर कुल राजकोषीय देयता की स्थिति को प्रकाश में लाता है।

तालिका 1.33: कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक लेखा देयताएं (नेटेड आंकड़ों के अनुसार)	लोक लेखा देयताएं (वास्तविक)	कम बतायी गयी राशि (3-2)	कुल नेटेड देयताएं (वर्तमान दरों पर)	कुल वास्तविक देयता (वर्तमान दरों पर) (4+5)
1	2	3	4	5	6
2011-12	597765 (6.84)	1172243 (13.42)	574478	4151284 (47.52)	4725762 (54.10)
2012-13	610016 (6.13)	1198214 (12.04)	588198	4706586 (47.30)	5294784 (53.21)
2013-14	644060 (5.71)	1268854 (11.26)	624794	5259310 (46.66)	5884104 (52.20)
2014-15	671010 (5.37)	1341220 (10.74)	670210	5775685 (46.25)	6445895 (51.62)
2015-16	711608 (5.24)	14,30,012 (10.53)	718404	6423032 (47.31)	7141436 (52.60)

नोटः कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वित्त लेखा के कथन सं. 2 में किया गया वर्णन केन्द्र के देयताओं को कम प्रतिवेदित करता है, जिसने एनएसएसएफ के परिचालन में संचित घाटे से हुई अपव्ययी हानियों को शामिल किया।

₹12,31,500 करोड़ के लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता के वास्तविक स्तर ध्यान में रखते हुए, लोक लेखा देयता ₹14,30,012 करोड़ (₹12,31,500 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के रूप में तथा ₹1,98,512 करोड़ अन्य दायित्वों के रूप में) बनती है जैसा उपर्युक्त **तालिका 1.33** के कॉलम 3 में प्रकाश में लाया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2016 को संघ सरकार की कुल बकाया देयता, वर्तमान दरों पर बाह्य ऋण की गणना करते हुए ₹71,41,436 करोड़ थी जो कि जीडीपी का 52.60 प्रतिशत बनता है।

1.5.1 लोक ऋण का पुनर्भुगतान

2015-16 के दौरान, सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹4,05,242 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (**तालिका 1.34**)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 84 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों

(₹3,41,734 करोड़) पर ब्याज था। बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज ₹3,925 करोड़ थी बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 88 प्रतिशत (₹3,465 करोड़) केवल चार संस्थाओं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.34: लोक -ऋण प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतन		लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	4063177	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	3968038	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	3994966	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	4218196	1393196
2015-16	3714352	405242	23305	3925	4146824	4316950	1520170

₹15,20,170 करोड़ के कुल गैर ऋण प्राप्ति के प्रति 2015-16 में ₹41,46,824 करोड़ के लोक ऋण का कुल पुर्नभुगतान हुआ था और इस प्रकार गैर-ऋण प्राप्ति के 273 प्रतिशत हुआ। इसके अतिरिक्त, 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के पुर्नभुगतान का अनुपात 289 प्रतिशत था।

1.5.2 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता सामान्य रूप से ऋण, प्राथमिक घाटे और जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में ब्याज लागत से मापी जाती है। गिरता हुआ ऋण/जीडीपी अनुपात को स्थिरता की और बढ़ता हुआ मान सकते है। ब्याज भुगतानों की राजस्व प्राप्तियों के साथ के अनुपात को ऋण स्थिरता को मापने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस भाग में, कुल देयता (लोक ऋण और अन्य देयताओं) की स्थिरता का आकलन महत्व परिवर्तनों में देखी गई प्रवृत्तियों का उपयोग करके किया जाता है।

(क) देयता- जीडीपी अनुपात

देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है जोकि लोक ऋण स्थिरता को सूचित करती है और **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.9: देयता की प्रवृत्तियां- जीडीपी अनुपात

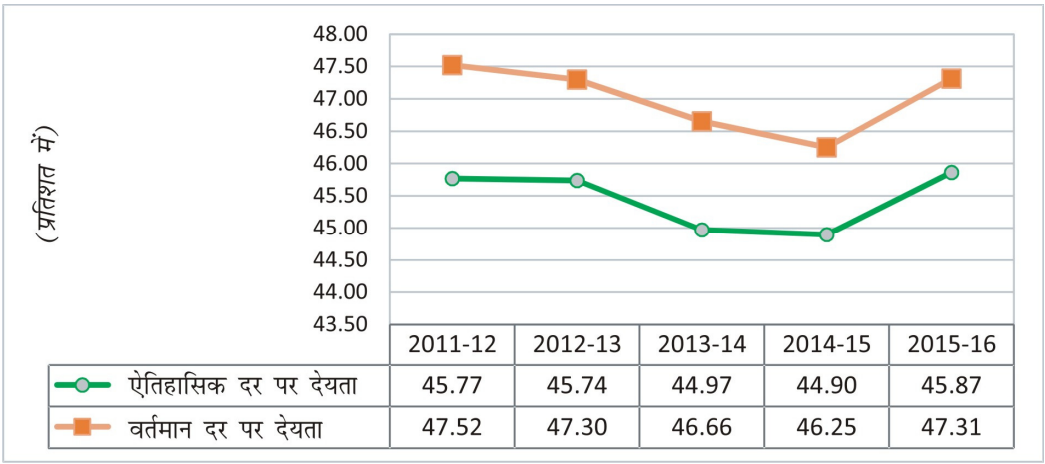

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऐतिहासिक दर पर देयता	45.77	45.74	44.97	44.90	45.87
वर्तमान दर पर देयता	47.52	47.30	46.66	46.25	47.31

वर्तमान दर पर 2011-16 के दौरान संघ सरकार की देयता 2011-12 के ₹41,51,284 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹64,23,032 करोड़ तक बढ़ी। देयता-जीडीपी अनुपात 2014-15 के 46.25 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 47.31 प्रतिशत हो गई। यह विश्लेषण **तालिका 1.33** में उल्लेखित लोक लेखा में देयताओं के कम बताने को ध्यान में नहीं लिया गया है, लेकिन जिसके लिए देयता-जीडीपी अनुपात 2015-16 में 52.60 हो गया होता।

(ख) ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात

ऋण की ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता का अन्य मुख्य संकेतक है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 **(चार्ट 1.10)** में सरकार हेतु ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्तियां (आईपी/आरआर) के अनुपात में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई थी।

चार्ट 1.10: ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्ति अनुपात

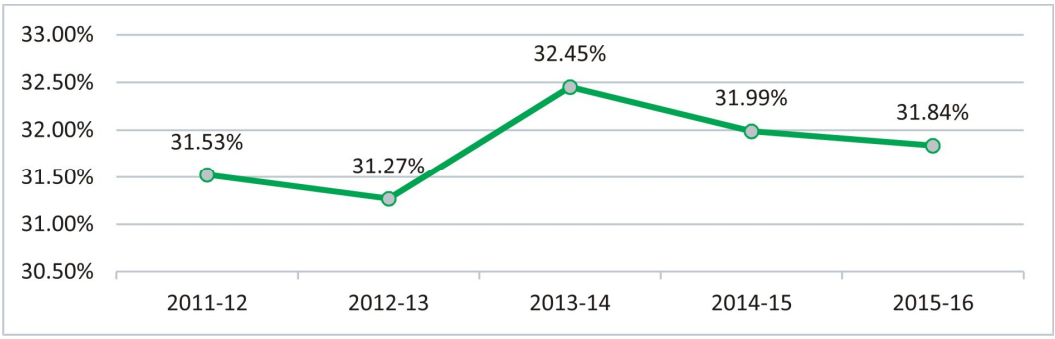

(ग) औसत ब्याज लागत

औसत ब्याज लागत (एआईसी) एक वर्ष के दौरान औसत ऋण स्टॉक[3] के साथ ब्याज भुगतानों का भाग करके निकाली जाती है। गिरती हुई औसत ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता के लिये शुभ संकेत है।

चार्ट 1.11: औसत ब्याज दर (ए.आई.सी.) और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि

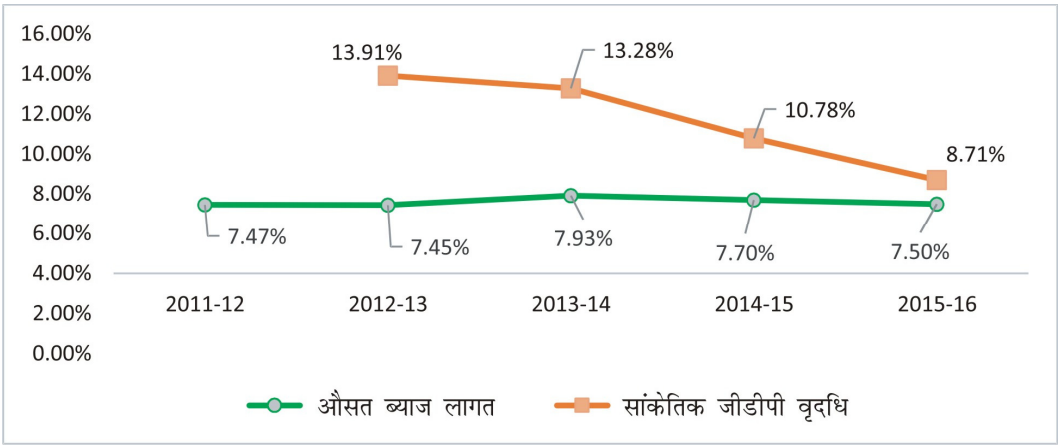

चार्ट 1.11 औसत ब्याज लागत में 2013-14 से गिरावट दर्शाता है। यह 2013-14 में 7.93 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 7.50 प्रतिशत तक कम हुई थी। यह विश्लेषण जैसा **तालिका 1.32** के कॉलम 6 में प्रदर्शित कुल देयताओं के कम बतायी गयी आंकड़ों पर आधारित है।

एआईसी के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर की तुलना लोक ऋण की स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है। जीडीपी में सांकेतिक वृद्धि दर औसत 2012-16 के दौरान ब्याज लागत से अधिक रही है।

(घ) बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

2015-16 में ₹64,23,032 करोड़ की कुल बकाया देयताओं में, आंतरिक ऋण ₹53,04,835 करोड़ का था। आंतरिक ऋण का मुख्य घटक है बाजार ऋण जो दिनांकित प्रतिभूतियां है और वह ₹43,00,102 करोड़ का था (आंतरिक ऋण का 81.06 प्रतिशत)। जिन बाजार ऋणों की ऋणमुक्ति सात वर्षों के अंदर करनी थी,

[3] औसत ऋण स्टॉक, वर्ष के आरंभ एवं वर्ष के अंत में बकाया ऋण का सामान्य औसत है।

उनकी परिपक्वता प्रोफाइल 2015-16 की समाप्ति पर ₹17,63,762 करोड़ (बकाया बाजार ऋण के 41 प्रतिशत के आसपास) थी। (**चार्ट 1.12**)

चार्ट1.12: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

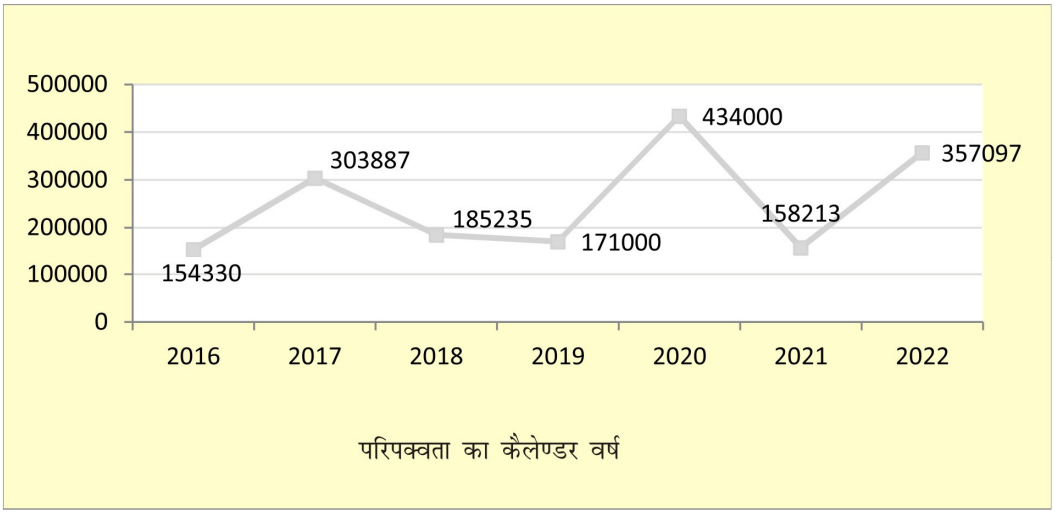

स्रोत: वि.व *2015-16 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे*

वर्ष 2015 में, सबसे लंबी परिपक्वता आयु वाली दिनांकित प्रतिभूतियां 40 वर्षों वाली थी।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2015-16 के दौरान, वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹4,06,589 करोड़ जबकि 31 मार्च 2016 को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,49,516 करोड़ तक सूचित किया गया है। सहायता - लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹41,053 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹33,286 करोड़), सड़कें (₹29,187 करोड़), विद्युत (₹17,387 करोड़), रेल (₹24,041 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹27,023 करोड़) जल संसाधन प्रबंधन (₹11,999 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹12,162 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.13: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

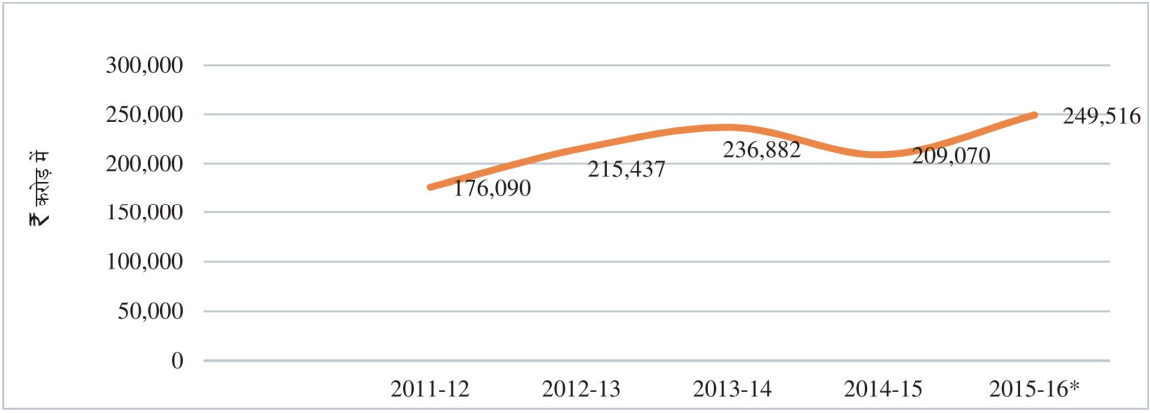

** 2011-12 से लेकर 2014-15 के आंकडे वास्तविक हैं और 2015-16 के आंकडे अनन्तिम हैं। ये सी.ए.ए.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।*

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.35** बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.35: प्रतिबद्धता प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एशियन विकास बैंक	जापान	जर्मनी	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53
2015-16	24.15	23.84	4.35	0.55	52.89

हालांकि वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत से अधिक प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी की कमी आई थी जिसके कारणवश 2015-16 में ₹ 52.89 करोड़ तक की राशि के प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ था जो कि निरंतर अपर्याप्त योजना दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अंर्तराष्ट्रीय जापान सहकारिता अभिकरण (जे.आई.सी.ए.) से प्राप्त अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता को 25 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा क्योंकि जे.पी.वाय 312774

मिलियन (100 येन = ₹56) की कुल ऋण प्रतिबद्धता वाली नौ परियोजनाओं से संबंधित ऋण अनुबंध जे.आई.सी.ए. द्वारा कार्यान्वित नहीं किए गए थे।

1.5.4 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में अधिनिर्णय अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय कुल जमा को **तालिका 1.36** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.36: राजकोषीय रोड मैप तथा वास्तविक प्रदर्शन

(जीडीपी की प्रतिशतता)

मापदंड	14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16
राजस्व घाटा	2.56	2.25	1.79	1.36	0.93	*2.53*
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.62
पूंजीगत व्यय	3.60	3.00	3.00	3.00	3.00	*4.31*
राजकोषीय घाटा	43.60	41.41	39.49	37.79	36.30	47.31

(वर्ष के अंत में देयताएं)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय घाटा तथा ऋण स्टॉक जी.डी.पी. के क्रमश: 3.60 प्रतिशत व 43.60 प्रतिशत की तुलना में 4.31 एवं 47.31 प्रतिशत थे।

1.6 संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियॉ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियॉ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है।

गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए निवेशों की बढती आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती हैं। संघ सरकार

की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियॉ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6(1)(ख) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। क्रमश: **चार्ट 1.1.4** और **तालिका 1.37** में वित्त वर्ष 2011-16 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2016 तक बकाया गारंटीकृत राशि में से 69.82 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 22.08 प्रतिशत आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 8.10 प्रतिशत शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.14: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

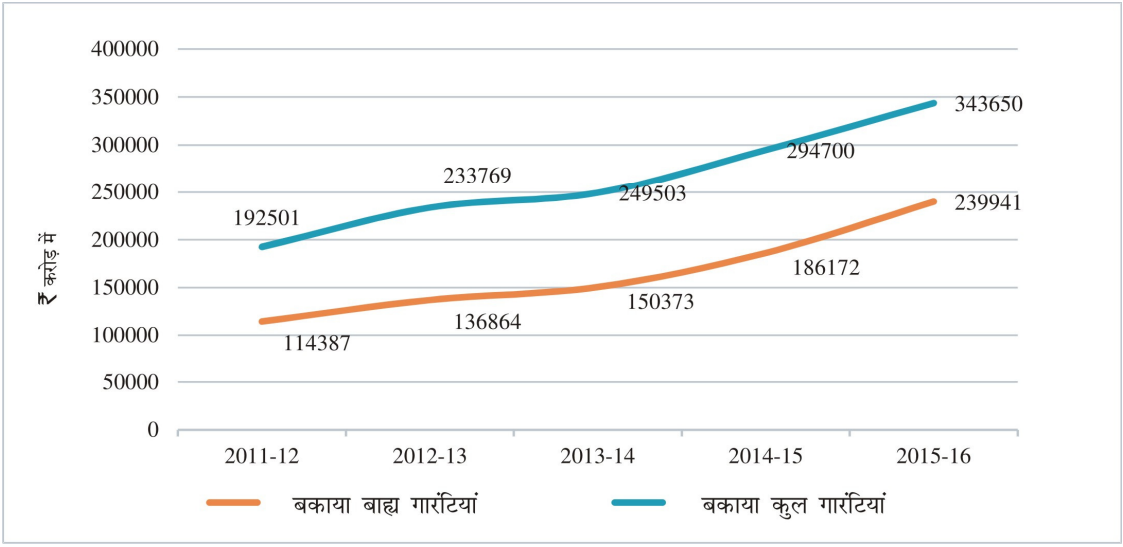

तालिका 1.37: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	186172	63.17
2015-16	352519	343650	239941	69.82

31 मार्च 2016 को कुल बकाया गारंटियां जीडीपी का 2.53 प्रतिशत तथा 2015-16 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 23.93 प्रतिशत थीं।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुपालन में, वर्ष के दौरान गारंटियों की वृद्धि ₹51,942.13 करोड़ (जीडीपी का 0.38 प्रतिशत) थी। हालांकि, वर्ष 2015-16 के दौरान गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹43,341.11 करोड़ थी जोकि जीडीपी का 0.32 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 आर्थिक वृद्धि में सुधार द्वारा विशिष्ट था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी के अनुमानों में 2014-15 में 7.2 प्रतिशत के प्रति 7.6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाई गई थी। तथापि वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी 2015-16 में पूर्व वर्ष में 10.8 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर दर्शाता था। राजस्व घाटा में सुधार हुआ जो कि 2014-15 में जी.डी.पी. में

2.93 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 2.53 प्रतिशत था, हालांकि जी.डी.पी. के संबंध में वित्तीय घाटे में 2014-15 के 4.13 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 4.31 प्रतिशत तक की कमी आई। वर्तमान विनिमय दर पर जी.डी.पी. की प्रतिशतता के तौर पर कुल देयता वर्ष 2014-15 में 46.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 47.31 प्रतिशत हो गई जो कि प्रासंगिक वर्ष हेतु 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 43.60 प्रतिशत के स्तर से अति बढ़कर थी। 2015-16 में ऋण स्टॉक की वृद्धि 11.21 प्रतिशत की दर पर थी जो कि जीडीपी की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।